पत्रांकः न-5/सीएफओ-GPR/25

दिनांकः जून 20,2025

स्वामी / प्रबन्धक,

P.M. Shri Atal Utkrisht GIC Nandasain Chamoli, Vill-Malai, Post-Malai, Nauti, District-Chamoli.

विषय:- अग्निशमन स्रक्षा सम्बन्धी Pre-Operational अनापति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बर—45883079 दिनांकः 28.05.2025 जो कि Uttarakhand Fire And Emergency Services के वेबसाईट पर प्राप्त हुआ है के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रमारी फायर स्टेशन गोपेश्वर द्वारा किया गया, प्रमारी फायर स्टेशन गोपेश्वर की निरीक्षण आख्या दिनांकः 16.06.2025 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्नि जोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी, समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये तथा अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी किये जाने की संस्तृति की गयी है।

उपरोक्त भवन/संस्थान एक शिक्षण संस्थान है। जो भूतल एवं प्रथम तल में निर्मित है। जिसके प्लॉट का क्षेत्रफल 1776.71 वर्ग मी0 है तथा उक्त भवन का क्षेत्रफल (Covered Area) 513.92 वर्ग मी0 है। भवन की कंचाई 7.2 मी0 है। भवन/संस्थान में बेसमेन्ट नहीं है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुमाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांकः 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांकः 20 जून, 2025 से 19 जून, 2028 (3 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्निशनन उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण-पत्र निम्न बिन्दुओं के अनुपालन के दृष्टिगत सशर्त जारी किया जाता है।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियाँ प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखा जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।

 सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है। अतः प्रबन्धन को अग्नि निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।

4. मवन/संस्थान में विद्युत यंत्रों की स्थापना, वेंटिलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया के निर्माण Land Use Change

में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाय।

5. इस अनापत्ति प्रमाण-पत्र की उपयोग अवैद्य निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

6. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र/Self Declaration Certificate प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य है।

7. यदि चपरोक्त अग्नि सुरक्षा अनापति प्रमाण-पत्र से संबन्धित मदन या अधिमोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।

8. संस्थान के मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी अन्य विमाग द्वारा किसी मी प्रकार की आपत्ति होने पर प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा

जाय। 9.संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी. 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है। स्वामी/प्रबन्धक द्वारा उपरोक्त उन्लेखित बिन्दुओं के अनुरूप पालन न किये जाने पर प्रदत्त प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

> (राजेन्द्र सिंह खाती) 6 मुख्य अग्निशमण अधिकारी, पौडी गढवात।